बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र सख्या–NHM/BHDS/65/2025–प्रो०/स्को०-36- /कृ०, पटना, दिनांक 17/05/ ,2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवामें,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षो के लिए टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु कुल 3199.00 लाख (इकतीस करोड़ निन्यानवे लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1919.40 लाख (उन्नीस करोड़ उन्नीस लाख चालीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षो के लिए टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु कुल 3199.00 लाख (इकतीस करोड़ निन्यानवे लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1919.40 लाख (उन्नीस करोड़ उन्नीस लाख चालीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को केला की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (टिश्यू कल्चर) की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उनकी आमदनी में वृद्धि करना है।

3. चतुर्थ कृषि रोड मैप में सन्निहित कार्यक्रमों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025–26 में "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की कार्य योजना तैयार की गई है जो State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक 28.04.2025 को तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 17.03.2025 को अनुमोदित है।

4. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्रांश 1151.64 लाख (ग्यारह करोड़ एकावन लाख चौसठ हजार) रूपये एवं राज्यांश 767.76 लाख (सात करोड़ सड़सठ लाख छिहत्तर हजार) रूपये, कुल 1919.40 लाख (उन्नीस करोड़ उन्नीस लाख चालीस हजार) रूपये मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्रांश 767.76 लाख (सात करोड़ सड़सठ लाख छिहत्तर हजार) रूपये एवं राज्यांश 511.84 लाख (पाँच करोड़ ग्यारह लाख चौरासी हजार) रूपये, कुल राशि रू० 1279.60 लाख (बारह करोड़ उनासी लाख साठ हजार) रूपये मात्र

टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना पर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत योजना से संबंधित विस्तृत अनुसूची– 1, 2.1, 2.2 एवं 3 के रूप में संलग्न है।

5. टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा।

6. इस योजना अंतर्गत टिश्यू कल्चर केला (गैर समेकित) का क्षेत्र विस्तार हेतु टिश्यू कल्चर केला की मालभोग, चिनिया एवं जी–9 प्रभेद किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना अंतर्गत टिश्यू कल्चर केला (गैर समेकित) के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 1.75 लाख (एक लाख पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत स्वीकृत है। टिश्यू कल्चर केला की खेती हेतु 1.8X1.8 मीटर पौधो से पौधो की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 3086 पौधा की आवश्यकता है।

उपरोक्त इकाई लागत 1,75,000.00 (एक लाख पचहत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार 40% अनुदान अर्थात् 70,000.00 (सत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दो किस्तों में दिया जाएगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 42,000.00 (बयालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर एवं द्वितीय किस्त में अनुदान का शेष 40% अर्थात् 28,000.00 (अट्ठाईस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि किसानों को उनके द्वारा कार्य निष्पादन उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नियमानुसार किया जायेगा एवं द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जायेगा।

7. योजनान्तर्गत केला के क्षेत्र विस्तार के लिए देय अनुदान की राशि दो वर्षों (60:40) में भुगतान किया जायेगा।

8. भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद की राशि की विमुक्ति के पश्चात् ही राज्यांश की राशि का आवंटन एवं निकासी की जायेगी।

9. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं प्रशासी विभाग द्वारा संसूचित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में संसूचित बजट उपबंध के अधीन अनुमोदित Cost Norms के अनुरूप किया जायेगा।

10. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक होगा। योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों का चयन **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर किया जायेगा।

11. डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत कृषक के द्वारा http://horticulture.bihar.gov.in "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध **"टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना,** आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा।

DBT कार्यक्रम के तहत् लाभुकों को अनुमान्य अनुदान की भुगतान दो विधि In cash transfer या In Kind Transfer में से किसी भी विधि से किया जा सकता है, बशर्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

12. कृषकों को योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड (2 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।

13. एकीकृत बागवानी विकास मिशन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त एवं राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान –सह– सदस्य सचिव, मिशन निदेशक नामित हैं, जबकि जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी तथा कार्यकारी प्रधान –सह– सदस्य सचिव सहायक निदेशक उद्यान नामित हैं।

14. इस योजना का कार्यान्वयन जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्न अनुसूची– 2.1, 2.2 एवं 3 के आलोक में मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार एवं सभी जिलों के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।

15. वैशाली एवं नालन्दा जिला में Indo-Israel Village of Excellence (IIVoE) कार्यक्रम अन्तर्गत Village Specific Plan के अनुसार योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जा सकेगा।

16. टिश्यू कल्चर केला के पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता कृषि विश्वविद्यालय अधीनस्थ नर्सरी / Competitive Bidding से चयनित एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

17. प्रावधानित बजट के आलोक में सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 83.903 प्रतिशत, 15.00 प्रतिशत एवं 1.097 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि प्रत्येक कोटि के लाभुक में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

18. भारत सरकार के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ कृषकों / संबंधितों की इच्छा से DBT-IN-KINDS/DBT-IN-CASH के रूप में किसान / संबंधित को सीधे उनके बैंक खाता में SNA SPARSH के माध्यम से राशि की निकासी कर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

19. कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप केन्द्रांश की राशि एवं राज्यांश की राशि ट्रेजरी मोड में वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप निदेशक उद्यान, बिहार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा आवंटित केन्द्रांश की राशि एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि को SNA Sparsh के माध्यम से व्यय किया जायेगा। मिशन निदेशक के द्वारा केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि का लिमिट व्यय हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को लक्ष्य के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा

20. योजनान्तर्गत आय–व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जायेगा।

21. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन वित्तीय सीमा के अन्दर प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

22. योजना अन्तर्गत राशि व्यय के पश्चात् उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना एवं कृषि विभाग को निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

24. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

25. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति), विपत्र कोड 01–2401001190224, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	4363.14	966.26052
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0235–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति), विपत्र कोड 01–2401007890235, पी.एफ.एम.एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	780.00	172.74600
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0257–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति), विपत्र कोड 01–2401007960257, पी०एफ०एम०एस० कोड– 4138, विषय शीर्ष 0257–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	57.06	12.63348
योग	**5200.20**	**1151.64000**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0324–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति), विपत्र कोड 01–2401001190324, पी०एफ०एम०एस० कोड– 4138, विषय शीर्ष 0324–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	742.01	644.17367
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0335–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति), विपत्र कोड 01–2401007890335, पी.एफ.एम.एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0335–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	520.00	115.16400
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0357–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति), विपत्र कोड 01–2401007960357, पी.एफ.एम.एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0357–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	38.04	8.42233
योग	**1300.05**	**767.76000**
कुल योग	**6500.25**	**1919.40000**

नोट :– राज्यांश (सामान्य जाति) अन्तर्गत स्वीकृत राशि निर्धारित उपबंध से अधिक है। तत्काल उपलब्ध राशि की निकासी की जाएगी एवं शेष राशि की निकासी अगले अनुपूरक/पुनरीक्षित उपबंध से किया जायेगा।

26. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक–15.05.2025 को आयोजित बैठक में लोक वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। तद्‌लोक में योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या NHM/BHDS/65/2025 के पृ0सं0– 49/टि0 पर दिनांक– 16.05.2025 को प्राप्त है।

27. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

28. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–NHM/BHDS/65/2025 के पृष्ठ संख्या–51/टि० दिनांक–19.05.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–328 दिनांक–19.05.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० 19/5/25

(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/65/2025– प्रो०प्र०उ०-36- /कृ०, पटना, दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 19/5/25

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/65/2025– प्रो०प्र०उ०-36- /कृ०, पटना, दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 19/5/25

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/65/2025– प्रो०प्र०उ०-36- /कृ०, पटना, दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 19/5/25

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/65/2025– प्रो०प्र०उ० 36- /कृ०, पटना, दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 19/5/25

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/65/2025– प्रो०प्र०उ०-36- /कृ०, पटना, दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार,

पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/65/2025–उ०नि०(उ०)-36-   /कृ०, पटना, दिनांकः 19/05/2025

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Sarita\Yojna 25-26\Puja Mam\yojana\saction order\Tisue Culture Banana 3199.00.doc

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार का कार्य योजना

(राशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	अवयव	इकाई लागत/हे०	सहायता अनुदान का प्रतिशत (केन्द्रांश + राज्यांश)	अनुदान की राशि/हे०	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य 2025–26 (प्रथम वर्ष) (अनुदान की राशि का 60 प्रतिशत अर्थात 0.42 लाख/हे०)			वित्तीय लक्ष्य 2026–27 (द्वितीय वर्ष) (अनुदान की राशि का 40 प्रतिशत अर्थात 0.28 लाख/हे०)			कुल वित्तीय लक्ष्य (0.70 लाख/हे०)		
						केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश (7+10)	राज्यांश (8+11)	कुल (9+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1	टिश्यू कल्चर केला (गैर समेकित) का क्षेत्र विस्तार	1.75	40%	0.70	4570	1151.640	767.760	1919.400	767.760	511.840	1279.600	1919.400	1279.600	3199.000

(राकेश कुमार)

6/14

अनुसूची–2.1

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	टिश्यू कल्चर केला (गैर समेकित) (@0.42 लाख/हे०)			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	50	12.60	8.40	21.00
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	40	10.08	6.72	16.80
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	50	12.60	8.40	21.00
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	40	10.08	6.72	16.80
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	180	45.36	30.24	75.60
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	230	57.96	38.64	96.60
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	100	25.20	16.80	42.00
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	100	25.20	16.80	42.00
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	75	18.90	12.60	31.50
10	सहायक निदेशक उद्यान, गया	40	10.08	6.72	16.80
11	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	200	50.40	33.60	84.00
12	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	50	12.60	8.40	21.00
13	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	50	12.60	8.40	21.00
14	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर (भभुआ)	25	6.30	4.20	10.50
15	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	250	63.00	42.00	105.00
16	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	200	50.40	33.60	84.00
17	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	100	25.20	16.80	42.00
18	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	50	12.60	8.40	21.00
19	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	250	63.00	42.00	105.00
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	70	17.64	11.76	29.40
21	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	50	12.60	8.40	21.00
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	150	37.80	25.20	63.00
23	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	50	12.60	8.40	21.00
24	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	50	12.60	8.40	21.00
25	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	250	63.00	42.00	105.00
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	100	25.20	16.80	42.00
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	250	63.00	42.00	105.00
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	250	63.00	42.00	105.00
29	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	60	15.12	10.08	25.20
30	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	100	25.20	16.80	42.00

(राकेश कुमार)   (अभिषेक कुमार)

296
28

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	टिश्यू कल्चर केला (गैर समेकित) (@0.42 लाख/हे०)			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	150	37.80	25.20	63.00
32	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	200	50.40	33.60	84.00
33	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	25	6.30	4.20	10.50
34	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	80	20.16	13.44	33.60
35	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	150	37.80	25.20	63.00
36	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	225	56.70	37.80	94.50
37	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	135	34.02	22.68	56.70
38	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	145	36.54	24.36	60.90
कुल		**4570**	**1,151.64**	**767.76**	**1,919.40**

(राकेश कुमार)

(अभिषेक कुमार)

295

अनुसूची–2.2

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	टिश्यू कल्चर केला (गैर समेकित) (@0.28 लाख/हे०)			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि
1	2	3	4	5	7
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	50	8.40	5.60	14.00
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	40	6.72	4.48	11.20
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	50	8.40	5.60	14.00
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	40	6.72	4.48	11.20
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	180	30.24	20.16	50.40
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	230	38.64	25.76	64.40
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	100	16.80	11.20	28.00
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	100	16.80	11.20	28.00
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	75	12.60	8.40	21.00
10	सहायक निदेशक उद्यान, गया	40	6.72	4.48	11.20
11	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	200	33.60	22.40	56.00
12	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	50	8.40	5.60	14.00
13	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	50	8.40	5.60	14.00
14	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर (भभुआ)	25	4.20	2.80	7.00
15	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	250	42.00	28.00	70.00
16	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	200	33.60	22.40	56.00
17	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	100	16.80	11.20	28.00
18	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	50	8.40	5.60	14.00
19	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	250	42.00	28.00	70.00
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	70	11.76	7.84	19.60
21	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	50	8.40	5.60	14.00
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	150	25.20	16.80	42.00
23	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	50	8.40	5.60	14.00
24	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	50	8.40	5.60	14.00
25	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	250	42.00	28.00	70.00
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	100	16.80	11.20	28.00
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	250	42.00	28.00	70.00
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	250	42.00	28.00	70.00
29	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	60	10.08	6.72	16.80
30	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	100	16.80	11.20	28.00
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	150	25.20	16.80	42.00
32	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	200	33.60	22.40	56.00

(राकेश कुमार)

(अभिषेक कुमार)

9/14

294 280

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	टिश्यू कल्चर केला (गैर समेकित) (@0.28 लाख/हे०)			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि
33	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	25	4.20	2.80	7.00
34	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	80	13.44	8.96	22.40
35	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	150	25.20	16.80	42.00
36	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	225	37.80	25.20	63.00
37	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	135	22.68	15.12	37.80
38	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	145	24.36	16.24	40.60
कुल		**4570**	**767.76**	**511.84**	**1,279.60**

(राकेश कुमार)

(अमिषेक कुमार)

अनुसूची–3

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना का जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य

(वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	केन्द्रांश				राज्यांश				कुल वित्तीय लक्ष्य
		सामान्य वर्ग (83.903%)	अनुसूचित जाति (15%)	अनुसूचित जनजाति (1.097%)	कुल	सामान्य वर्ग (83.903%)	अनुसूचित जाति (15%)	अनुसूचित जनजाति (1.097%)	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	10.57178	1.89000	0.13822	12.60000	7.04785	1.26000	0.09215	8.40000	21.00000
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	8.45742	1.51200	0.11058	10.08000	5.63828	1.00800	0.07372	6.72000	16.80000
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	10.57178	1.89000	0.13822	12.60000	7.04785	1.26000	0.09215	8.40000	21.00000
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	8.45742	1.51200	0.11058	10.08000	5.63828	1.00800	0.07372	6.72000	16.80000
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	38.05840	6.80400	0.49760	45.36000	25.37227	4.53600	0.33173	30.24000	75.60000
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	48.63018	8.69400	0.63582	57.96000	32.42012	5.79600	0.42388	38.64000	96.60000
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	21.14356	3.78000	0.27644	25.20000	14.09570	2.52000	0.18430	16.80000	42.00000
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	21.14356	3.78000	0.27644	25.20000	14.09570	2.52000	0.18430	16.80000	42.00000
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	15.85767	2.83500	0.20733	18.90000	10.57178	1.89000	0.13822	12.60000	31.50000
10	सहायक निदेशक उद्यान, गया	8.45742	1.51200	0.11058	10.08000	5.63828	1.00800	0.07372	6.72000	16.80000
11	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	42.28711	7.56000	0.55289	50.40000	28.19141	5.04000	0.36859	33.60000	84.00000
12	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	10.57178	1.89000	0.13822	12.60000	7.04785	1.26000	0.09215	8.40000	21.00000
13	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	10.57178	1.89000	0.13822	12.60000	7.04785	1.26000	0.09215	8.40000	21.00000
14	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर (भभुआ)	5.28589	0.94500	0.06911	6.30000	3.52394	0.63000	0.04606	4.20000	10.50000
15	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	52.85889	9.45000	0.69111	63.00000	35.23926	6.30000	0.46074	42.00000	105.00000
16	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	42.28711	7.56000	0.55289	50.40000	28.19141	5.04000	0.36859	33.60000	84.00000
17	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	21.14356	3.78000	0.27644	25.20000	14.09570	2.52000	0.18430	16.80000	42.00000
18	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	10.57178	1.89000	0.13822	12.60000	7.04785	1.26000	0.09215	8.40000	21.00000
19	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	52.85889	9.45000	0.69111	63.00000	35.23926	6.30000	0.46074	42.00000	105.00000
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	14.80049	2.64600	0.19351	17.64000	9.86699	1.76400	0.12901	11.76000	29.40000
21	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	10.57178	1.89000	0.13822	12.60000	7.04785	1.26000	0.09215	8.40000	21.00000
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	31.71533	5.67000	0.41467	37.80000	21.14356	3.78000	0.27644	25.20000	63.00000
23	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	10.57178	1.89000	0.13822	12.60000	7.04785	1.26000	0.09215	8.40000	21.00000
24	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	10.57178	1.89000	0.13822	12.60000	7.04785	1.26000	0.09215	8.40000	21.00000
25	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	52.85889	9.45000	0.69111	63.00000	35.23926	6.30000	0.46074	42.00000	105.00000
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	21.14356	3.78000	0.27644	25.20000	14.09570	2.52000	0.18430	16.80000	42.00000
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	52.85889	9.45000	0.69111	63.00000	35.23926	6.30000	0.46074	42.00000	105.00000
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	52.85889	9.45000	0.69111	63.00000	35.23926	6.30000	0.46074	42.00000	105.00000
29	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	12.68613	2.26800	0.16587	15.12000	8.45742	1.51200	0.11058	10.08000	25.20000
30	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	21.14356	3.78000	0.27644	25.20000	14.09570	2.52000	0.18430	16.80000	42.00000
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	31.71533	5.67000	0.41467	37.80000	21.14356	3.78000	0.27644	25.20000	63.00000
32	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	42.28711	7.56000	0.55289	50.40000	28.19141	5.04000	0.36859	33.60000	84.00000
33	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	5.28589	0.94500	0.06911	6.30000	3.52394	0.63000	0.04606	4.20000	10.50000
34	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	16.91484	3.02400	0.22116	20.16000	11.27656	2.01600	0.14744	13.44000	33.60000
35	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	31.71533	5.67000	0.41467	37.80000	21.14356	3.78000	0.27644	25.20000	63.00000
36	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	47.57300	8.50500	0.62200	56.70000	31.71533	5.67000	0.41467	37.80000	94.50000
37	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	28.54380	5.10300	0.37320	34.02000	19.02920	3.40200	0.24880	22.68000	56.70000
38	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	30.65817	5.48100	0.40084	36.54000	20.43877	3.65400	0.26723	24.36000	60.90000
	कुल	**966.26052**	**172.74600**	**12.63348**	**1151.64000**	**644.17367**	**115.16400**	**8.42233**	**767.76000**	**1919.40000**

(राकेश कुमार)

(अभिषेक कुमार)

11/14

293